न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 11/2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00248

उनवान

भूप सिंह पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी ग्राम हिंगोटा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 19.02.2016 प्र.संख्या 21/16 उनवानी भूप सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री तालेराम उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 25.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 19.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार भुसावर ने आराजी खसरा नम्बर 504/2 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने शास्ति आरोपित करने एवं तीन माह की सिविल जेल का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2016 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर कब्जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

छोडने एवं भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करने तथा भविष्य में कब्जा पाये जाने पर सजा भुगतने को तैयार होने का शपथ पत्र देने को तैयार था। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट के विवादित आराजी से लगते हुए, स्वयं की खातेदारी के नम्बर हैं। अपीलाण्ट ने कई मर्तवा निवेदन किया कि विवादित आराजी की पैमाईश करा ली जावें, यदि सरकारी भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा निकलता है तो वह कब्जा छोडने को तैयार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुए बिना पैमाईश कराये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने एवं सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन सिवायचक की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर में कब्जा छोडे जाने का शपथ– पत्र प्रस्तुत करने को तैयार था। बाबजूद तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नही की एवं अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, विवादित आराजी से लगे हुए अपीलाण्ट की स्वयं की खातेदारी के खसरा नम्बर है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैमाईश नहीं कराई। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ–पत्र संलग्न है, जो विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की मौन स्वीकृति को दर्शाती है। दौराने अपील भी सिर्फ सिविल जेल सजा निरस्त करने के अनुतोष की प्रार्थना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। ऐसी स्थिति में कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुसावर ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया एवं प्रथम अपील भी उचित ही खारिज की गई है।

6. परन्तु वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करना है। अपीलाण्ट कब्जा हटाने का शपथ पत्र देना एवं पुनः अतिक्रमण नहीं करना कहता है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुसावर को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट पुनः भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 30.07.2018 तक प्रस्तुत कर देवें, तो तीन माह की सिविल जेल सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा का क्रियान्वयन करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official